



बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- n-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.comवेबसाईट :- <https://khagria.nic.in>

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में उनके शस्त्र अनुज्ञापित को आयुध अधिनियम, 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है तथा उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को उनके नाम के सामने उल्लेखित प्रतिष्ठान में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

क्र०	आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार एवं संख्या	जमा करने वाले प्रतिष्ठान का नाम
1	2	3	4	5
1	अंकित कुमार, पे०-स्व० सत्यनारायण सिंह, साकिन-देवका, थाना-चौथम, जिला-खगड़िया	03/1982 (चौथम थाना) 01/1986 (चौथम थाना)	बन्दूक सं०-123875 राईफल सं०- AB-96-1931	डिलक्स आर्म्स को०, खगड़िया
2	मो० शमशाद आलम, पे०-स्व० मो० जलीलउद्दीन, साकिन-मुश्कपुर, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया	09/1990 (गोगरी थाना)	बन्दूक सं०-4502 D/2	तथैव
3.	रंजना देवी, पति-स्व० रामप्रकाश यादव, साकिन-शेरगढ़, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया	02/1997 (गोगरी थाना)	राईफल सं०- 7294	तथैव
04.	अनिल कुमार, पे०-स्व० सुरेश प्रसाद भगत, साकिन+थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया	07/1974 (बेलदौर थाना)	बन्दूक सं०-7300226	आवेदक द्वारा शस्त्र भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में जमा करने का प्रति रसीद समर्पित किया गया है।

संबंधित मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित (क्रमांक 1, 2 एवं 3) को आदेश किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित संस्थान में शस्त्र जमा करें एवं उसके उपरान्त क्रमांक 1 से 4 तक के आश्रित मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश किया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020.....605...../जी०, दिनांक 24.09.20

- प्रतिलिपि :- संबंधित आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, गोगरी/चौथम/बेलदौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- डिलक्स आर्म्स को०, विश्वनाथगंज, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।